संख्या-4/22मु.स./का-2/2013

प्रेषक,

**राजीव कुमार,**
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **प्रमुख सचिव/ सचिव,**
   लोक निर्माण/ पंचायती राज/ चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,
   उत्तर प्रदेश शासन।
2. **मण्डलायुक्त**, सहारनपुर।
3. **जिलाधिकारी**, मुजफ्फरनगर/ शामली।

**कार्मिक अनुभाग-2** लखनऊ, दिनांकः 09 अक्टूबर, 2013

विषय :- मुजफ्फरनगर तथा आस-पास के जनपदों में दंगों में मरने वाले व्यक्तियों के आश्रितों को सरकारी नौकरी दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक समसंख्यक शासनादेश दिनांक 27.09.2013 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से मा. मुख्यमंत्री जी की घोषणा के दृष्टिगत मण्डलायुक्त, सहारनपुर द्वारा दंगे में मृत व्यक्तियों के आश्रितों को सेवायोजित किये जाने के सम्बन्ध में पत्र संख्या-179/पी.ए., दिनांक 25.09.2013 द्वारा प्राप्त प्रस्ताव के परिप्रेक्ष्य में शासन द्वारा लिये गये निर्णय से अवगत कराते हुए मृत व्यक्तियों के आश्रितों को सेवायोजित कराने हेतु तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

2- मण्डलायुक्त, सहारनपुर द्वारा पत्र संख्या-185/पी.ए., दिनांक 27.09.2013 (प्रतिलिपि संलग्न) उपलब्ध कराया गया है, जिसके साथ जिलाधिकारी, मुजफ्फरनगर का पत्र संख्या-2392/जे.ए./सा.द./भर्ती, दिनांक 25.09.2013 भी आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित किया गया है। जिलाधिकारी, मुजफ्फरनगर के उपर्युक्त सन्दर्भित पत्र में उल्लिखित किया गया है कि मृतक शाहनवाज पुत्र सलीम अहमद, निवासी ग्राम-कवाल के भाई नदीम पुत्र सलीम अहमद को प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, मुजफ्फरनगर में बेलदार के पद पर सरकारी नौकरी दिये जाने का प्रस्ताव किया गया है। इस सम्बन्ध में यह भी अवगत कराया गया है कि दिनांक 27.08.2013 को हुई हत्या में नदीम पुत्र सलीम अहमद, निवासी ग्राम-कवाल, हत्या के प्रकरण में दर्ज हुई प्रथम सूचना रिपोर्ट में आरोपी होने के कारण उसके परिवार द्वारा

http://shasanadesh.up.nic.in

मृतक शाहनवाज पुत्र सलीम अहमद के दूसरे भाई शहजाद पुत्र सलीम अहमद, आयु 20 वर्ष, शैक्षिक योग्यता-साक्षर को सरकारी नौकरी दिये जाने हेतु सहमति दी गयी है। उपर्युक्त के क्रम में जिलाधिकारी द्वारा नदीम पुत्र सलीम अहमद के स्थान पर मृतक के भाई शहजाद पुत्र सलीम अहमद को प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, मुजफ्फरनगर में बेलदार के पद पर नियुक्ति हेतु संशोधित प्रस्ताव प्रेषित किया गया है।

3- जिलाधिकारी, शामली द्वारा अपने उपर्युक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि पूर्व में श्री वासिद पुत्र स्व. रहीसा, निवासी ग्राम-लांक, थाना-फुगाना की शैक्षिक योग्यता-साक्षर, प्रस्तावित श्रेणी-चतुर्थ, प्रस्तावित विभाग का नाम-चिकित्सा विभाग तथा प्रस्तावित पद का नाम-चौकीदार अंकित किया गया था। पत्र में उल्लिखित किया गया है कि श्री वासिद की शैक्षिक योग्यता लिपिकीय त्रुटि से साक्षर अंकित हो गयी थी, जबकि उसने अपने को कक्षा-12 उत्तीर्ण बताया है। अतः श्री वासिद की शैक्षिक योग्यता-साक्षर के स्थान पर कक्षा-12 उत्तीर्ण, प्रस्तावित श्रेणी-चतुर्थ के स्थान पर तृतीय, प्रस्तावित विभाग-चिकित्सा विभाग के स्थान पर पंचायती राज विभाग एवं प्रस्तावित पद-चौकीदार के स्थान पर ग्राम पंचायत अधिकारी तथा उत्तर प्रदेश पंचायत सेवक सेवा नियमावली, 1978 व ग्राम पंचायत अधिकारी (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1989 की चयन प्रक्रिया में शिथिलता वाँछित है।

4- सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा उपर्युक्तानुसार प्राप्त प्रस्ताव को स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया गया है। सेवायोजित करने के पूर्व जिलाधिकारी श्री शहजाद पुत्र सलीम अहमद के मृतक शाहनवाज के भाई होने की पुष्टि कर लेंगे। श्री वासिद पुत्र स्व. रहीसा को सेवायोजित करने के पूर्व इनकी शैक्षिक अर्हता से भी नियुक्ति प्राधिकारी संतुष्ट हो लेंगे।

5- उपर्युक्त निर्णय के अनुसार मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्त वर्णित दो मृत व्यक्तियों के आश्रितों को सेवायोजित कराने हेतु तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित् कराने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोपरि

ह./-

राजीव कुमार
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

महत्त्वपूर्ण / शीर्ष प्राथमिकता

प्रेषक,

आयुक्त
सहारनपुर मण्डल
सहारनपुर

सेवा में,

प्रमुख सचिव
नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग
उत्तर प्रदेश शासन
लखनऊ

संख्या 185 /पी0ए0 दिनांक 27 सितम्बर,2013

विषयः— **जनपद मुजफ्फरनगर में हुए साम्प्रदायिक दंगे में मारे गये मृत व्यक्तियों के आश्रितों को सरकारी नौकरी दिये जाने के सम्बन्ध में।**

---

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक इस कार्यालय के पत्र संख्या 179/पी0ए0 दिनांक 25—09—2013 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। तत्क्रम में जिलाधिकारी, मुजफ्फरनगर द्वारा उपलब्ध कराया गया संशोधित प्रस्ताव पत्र संख्या 2392/जे0ए0/सा0द0/भर्ती दिनांक 25—9—2013 एवं जिलाधिकारी शामली द्वारा उपलब्ध कराया गया संशोधित प्रस्ताव पत्र संख्या 1397/जे0ए0—2013 दिनांक 25—09—2013 संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नकः—यथोक्त।

भवदीय

(भुवनेश कुमार)
आयुक्त
सहारनपुर मण्डल,सहारनपुर

संख्या एवं दिनांक तदैवः—

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— जिलाधिकारी, मुजफ्फरनगर को उनके पत्र संख्या 2392/जे0ए0 /सा0द0/ भर्ती दिनांक 25—09—2013 के क्रम मे।

2— जिलाधिकारी, शामली के उनके पत्र संख्या 1397/जे0ए0—2013 दिनांक 25—09—2013 के क्रम में।

आयुक्त
सहारनपुर मण्डल,सहारनपुर

A-cll/P.A

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
मुजफ्फरनगर।

सेवा में,

प्रमुख सचिव, गृह
उत्तर प्रदेश शासन,
साम्प्रदायिकता नियन्त्रण प्रकोष्ठ,
लखनऊ।

आयुक्त
सहारनपुर मण्डल
सहारनपुर

संख्या 2379 जे0ए0/सा.द./भर्ती दिनांक 25-9-2013

विषयः- जनपद मुजफ्फरनगर में हुए साम्प्रदायिक दगें में मारे गये मृत व्यक्तियों के आश्रितों को सरकारी नौकरी दिये जाने के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया इस कार्यालय के पत्र संख्या-2386/सा.द./भर्ती दिनांक 24.09.2013 के साथ संलग्न की गयी सूचना ग्राम कवाल में दिनांक 27.08.2013 को हुई हत्याओं के सम्बन्ध में मृतक व्यक्तियों एवं उनके आश्रितों के विवरण के क्रमांक-3 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट, करें जिसमें मृतक शाहनवाज पुत्र सलीम अहमद निवासी ग्राम कवाल के मृतक भाई नदीम पुत्र सलीम अहमद को प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग मु0नगर में बेलदार के पद पर सरकारी नौकरी दिये जाने का प्रस्ताव किया गया है।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि दिनांक 27.09.2013 को हुई हत्या में नदीम पुत्र सलीम अहमद निवासी ग्राम कवाल के हत्या के प्रकरण में दर्ज हुई प्रथम सूचना रिपोर्ट में आरोपी होने के कारण उसके परिवार द्वारा पुनः मृतक शाहनवाज पुत्र सलीम अहमद के दूसरे भाई शहजाद पुत्र सलीम अहमद निवासी ग्राम कवाल आयु 20 वर्ष शैक्षिक योग्यता साक्षर को सरकारी नौकरी दिये जाने हेतु सहमति दी गयी है।

अतः अनुरोध है कि इस प्रकरण में नदीम पुत्र सलीम अहमद के स्थान पर मृतक शाहनवाज पुत्र सलीम अहमद निवासी ग्राम कवाल के संबंध में भेजे गये प्रस्ताव के स्थान पर, परिवार द्वारा दी गयी सहमति के आधार पर मृतक के भाई शहजाद पुत्र सलीम अहमद आयु 20 वर्ष शैक्षिक योग्यता साक्षर को प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0 मु0नगर में बेलदार के पद पर नियुक्ति हेतु प्रस्ताव संशोधित कर प्रेषित है।

भवदीय,

(डा0 इन्द्रमणि त्रिपाठी)
अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)
मुजफ्फरनगर।

संख्या व दिनांक उपरोक्त।

1- प्रतिलिपि आयुक्त महोदय, सहारनपुर मण्डल सहारनपुर को सादर अवलोकनार्थ प्रेषित ।
2- प्रतिलिपि जिलाधिकारी महोदय को सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।

(डा0 इन्द्रमणि त्रिपाठी)
अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)
मुजफ्फरनगर।

A-C 1/PH

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
जनपद–शामली।

आयुक्त
सहारनपुर मण्डल
सहारनपुर

सेवा में,

आयुक्त,
सहारनपुर मण्डल,
सहारनपुर।

संख्या– 1397 / जे0ए0–2013. दिनांक : 25–9–2013

विषय– **मा0 मुख्य मंत्री जी. उ0प्र0 शासन द्वारा दिनांक 15–9–2013 में की गई घोषणाओं के क्रम में उ0प्र0 शासन, मुख्य मंत्री कार्यालय अनुभाग–3 (घोषणा प्रकोष्ठ) पत्रांक–884 / घोषणा / AY / 84 / 2013, दिनांक 16–9–2013 द्वारा जारी पत्र के बिन्दु संख्या–4 "दंगे में मरने वाले प्रत्येक व्यक्ति के आश्रित को योग्यता के अनुसार सरकारी नौकरी दिलाई जायेगी" के सम्बन्ध में मृतक के आश्रितों को विभिन्न विभागों में सेवायोजित किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्र संख्या–384 / जे0ए0 / एस0टी0–2013, दिनांक 24–9–2013 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा साम्प्रदायिक हिंसा पीड़ितों के सम्बन्ध में मा0 मुख्य मंत्री जी द्वारा की गई 06 घोषणाओं के कार्यान्वयन विषयक मृतकों के आश्रितों को सरकारी सेवाओं में सेवायोजित करने के सम्बन्ध में पदवार शिथिलीकरण प्रस्ताव का विवरण प्रेषित किया गया था।

उक्त सन्दर्भ में सादर अवगत कराना है कि ब्रॉडशीट के *क्रमांक 12* पर श्री वासिद पुत्र स्व0 रहीसा निवासी ग्राम लांक, थाना फुगाना की शैक्षिक योग्यता साक्षर एवं प्रस्तावित श्रेणी चतुर्थ तथा प्रस्तावित विभाग का नाम चिकित्सा विभाग व प्रस्तावित पद का नाम चौकीदार अंकित किया गया था।

अवगत कराया गया है कि उपर्लिखित कमांक 12 में श्री वासिद की शैक्षिक योग्यता लिपिकीय त्रुटि से साक्षर अंकित हो गयी थी, जबकि उसने अपने को कक्षा–12 उत्तीर्ण बताया है। अतः श्री वासिद उपरोक्त की **शैक्षिक योग्यता** साक्षर के स्थान पर *कक्षा–12 उत्तीर्ण* एवं प्रस्तावित **श्रेणी** चतुर्थ के स्थान पर *तृतीय* तथा प्रस्तावित **विभाग का नाम** चिकित्सा विभाग के स्थान पर *पंचायती राज विभाग* व प्रस्तावित **पद का नाम** चौकीदार के स्थान पर *ग्राम पंचायत अधिकारी* तथा वांछित शिथिलता "उ0प्र0 पंचायत सेवक सेवा नियमावली 1978 व ग्राम पंचायत अधिकारी (प्रथम संशोधन) नियमावली 1989" की चयन प्रक्रिया में शिथिलता वांछनीय है, किया जाना है। तद्नुसार आंशिक संशोधित शिथिलीकरण प्रस्ताव की प्रति इसके साथ **संलग्न** कर प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक :–यथोपरि।

भवदीय,

(पी0के0 सिंह)
जिलाधिकारी,
शामली।

संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि :– श्री नरेन्द्र कुमार सिंह, संयुक्त सचिव, मुख्य मंत्री कार्यालय, अनुभाग–3, घोषणा प्रकोष्ठ, उ0प्र0, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि प्रश्नगत प्रकरण के सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी के पत्र संख्या 1381 / जे0ए0–2013, दिनांक 23–9–2013 द्वारा घोषणा संख्या–4 के सम्बन्ध में संलग्नक–4 के क्रम संख्या 12 में मृतक आश्रित श्री वासिद के सम्बन्ध में तद्नुसार **शैक्षिक योग्यता** साक्षर के स्थान पर *कक्षा–12 उत्तीर्ण* तथा **श्रेणी** चतुर्थ के स्थान पर *तृतीय* मानी जाए। तद्नुसार इस सम्बन्ध में शिथिलीकरण प्रस्ताव की प्रति भी **संलग्न** है।

(पी0के0 सिंह)
जिलाधिकारी,
शामली।

## जनपद–शामली

माननीय मुख्य मंत्री जी, उ0प्र0 शासन द्वारा दिनांक 15–9–2013 मे की गई घोषणाओं के कम में उत्तर प्रदेश शासन मुख्य मंत्री कार्यालय अनुभाग–3 (घोषणा प्रकोष्ट) पत्रांक 884/घोषणा/AY/84 /2013 दिनांक 16–9–2013 द्वारा जारी पत्र के बिन्दु संख्या–4 "दंगे मे मरने वाले प्रत्येक व्यक्ति के आश्रित को योग्यता के अनुसार सरकारी नौकरी दिलाई जायेगी" के सम्बन्ध मे मृतक के आश्रितों को उनकी शैक्षिक योग्यता के अनुसार विभिन्न विभागो मे स्वायोजित किये जाने हेतु **संशोधित** शिथिलीकरण प्रस्ताव निम्नवत है–

| क्र0 सं0 | सेवा योजना हेतु समस्त आश्रितों की सहमति से चयनित परिवार के सदस्य का नाम मय वलदीयत | निवास का पता | जाति | मृतक से सम्बन्ध | चयनित सदस्य की शैक्षिक योग्यता | चयनित सदस्य की आयु (वर्ष में) | किसी श्रेणी के पद हेतु अर्ह है | प्रस्तावित विभाग का नाम | प्रस्तावित पद का नाम | वांछित शिथिलता |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | श्री अरशद शैफी पुत्र जमील अहमद | ग्राम हरसाना थाना झिझांना | मु0बढई | पुत्र | 12 वीं उर्तीण | 23 | तृतीय | पंचायतीराज विभाग | ग्रा0पं0अ0 | "उत्तर प्रदेश पंचायत सेवक सेवा नियमावली 1978 व ग्राम पंचायत अधिकारी (प्रथम संशोधन) नियमावली 1989" की चयन प्रकिया से शिथिलता वांछनीय है |
| 2 | उमरखान खॉ पुत्र स्व0 उमरदराज | ग्राम बुटराडा थाना बाबरी | मु0 पठान | पुत्र | 8 वीं | 20 | चतुर्थ | ग्राम्य वि0विभाग | पत्रवाहक | उत्तर प्रदेश समुह "घ" कर्मचारी सेवा नियमावली –1985 भाग 5 भर्ती प्रकिया से शिथिलता वांछनीय है |
| 3 | श्रीमती फिरदोस पत्नी इन्सार | ग्राम दौलतगढी मजरा गंगेरू थान कॉधला | मु0गुर्जर | पत्नी | साक्षर | 30 | चतुर्थ | चिकित्सा विभाग | चौकीदार | उत्तर प्रदेश समुह "घ" कर्मचारी सेवा नियमावली –1985 भाग 5 भर्ती प्रकिया से शिथिलता वांछनीय है |
| 4 | श्री जिसान स्व0 अहसान | मौ0 कलन्दरशाह कस्बा शामली थाना कोतवाली | शेख सरवरी | पुत्र | 5 वीं उतीर्ण | 18 | चतुर्थ | राजस्व विभाग (रेगुलर अधिष्ठान) | चपरासी | उत्तर प्रदेश समुह "घ" कर्मचारी सेवा नियमावली –1985 भाग 5 भर्ती प्रकिया से शिथिलता वांछनीय है |

25/9/13

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | श्री सोनू पुत्र आस मौहम्मद | ग्राम बहावडी थाना फुगाना | कुरेशी | पौत्र | 5 वी उतीर्ण | 19 | चतुर्थ | ग्राम्य विकास विभाग | पत्रवाहक | उत्तर प्रदेश समुह "घ" कर्मचारी सेवा नियमावली –1985 भाग 5 भर्ती प्रकिया से शिथिलता वांछनीय है |
| 6 | श्री आरिफ पुत्र स्व0 श्री दिलशाद | ग्राम बहावडी थाना फुगाना | कुरेशी | पुत्र | 5 वीं उतीर्ण | 19 | चतुर्थ | ग्राम्य वि0विभाग | पत्रवाहक | उत्तर प्रदेश समुह "घ" कर्मचारी सेवा नियमावली –1985 भाग 5 भर्ती प्रकिया से शिथिलता वांछनीय है |
| 7 | श्री इरशाद अली पुत्र स्व0 अबुलहसन | ग्राम लॉक थाना फुगाना | मु0बढई | पुत्र | 10 वीं उतीर्ण | 27 | चतुर्थ | चिकित्सा विभाग | वार्ड ब्वाय | उत्तर प्रदेश समुह "घ" कर्मचारी सेवा नियमावली –1985 भाग 5 भर्ती प्रकिया से शिथिलता वांछनीय है |
| 8 | श्रीमती इकबाल जहॉ पत्नी स0 ताहिर | ग्राम लॉक थाना फुगाना | मु0लीलगर | पत्नी | साक्षर | 30 | चतुर्थ | चिकित्सा विभाग | धोबी | उत्तर प्रदेश समुह "घ" कर्मचारी सेवा नियमावली –1985 भाग 5 भर्ती प्रकिया से शिथिलता वांछनीय है |
| 9 | श्री साजिद स्व0 मेहरदीन | ग्राम लॉक थाना फुगाना | मु0तेली | पुत्र | 8 वीं उतीर्ण | 25 | चतुर्थ | चिकित्सा विभाग | वार्ड ब्वाय | उत्तर प्रदेश समुह "घ" कर्मचारी सेवा नियमावली –1985 भाग 5 भर्ती प्रकिया से शिथिलता वांछनीय है |
| 10 | श्री खुर्शीद पुत्र स्व0 कासिम | ग्राम लॉक थाना फुगाना | मु0डूम | पुत्र | साक्षर | 40 | चतुर्थ | चिकित्सा विभाग | चौकीदार | उत्तर प्रदेश समुह "घ" कर्मचारी सेवा नियमावली –1985 भाग 5 भर्ती प्रकिया से शिथिलता वांछनीय है |
| 11 | श्री इकबाल अहमद पुत्र स्व वहीद | ग्राम लॉक थाना फुगाना | मु0लीलगर | पुत्र | 10 वीं उतीर्ण | 41 ¥ | चतुर्थ | चिकित्सा विभाग | वार्ड ब्वाय | उत्तर प्रदेश समुह "घ" कर्मचारी सेवा नियमावली –1985 भाग 5 भर्ती प्रकिया से शिथिलता वांछनीय है |
| 12 | श्री वासिद पुत्र स्व0 रहीसा | ग्राम लॉक थाना फुगाना | मु0लीलगर | पुत्र | 12 वीं उतीर्ण | 18 | तृतीय | पंचायतीराज विभाग | ग्रा0पं0अ0 | "उत्तर प्रदेश पंचायत सेवक सेवा नियमावली 1976 व ग्राम पंचायत अधिकारी (प्रथम संशोधन) नियमावली 1989" की चयन प्रकिया से शिथिलता वांछनीय है |

**नोटः–** मृतक के सेवा योजन हेतु समस्त आश्रितों की सहमति से चयनित परिवार के सदस्य की शैक्षिक योग्यता एवं आयु उसके द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र में उल्लिखित कथन के अनुसार अंकित की गई है, क्योकि उनके द्वारा शैक्षिक अभिलेख की प्रतिलिपियॉ उपलब्ध नही कराई गई है।

¥ – आवेदक पिछडे वर्ग से सम्बन्धित होने के कारण निर्धारित आयु सीमा के अन्तर्गत है।